संख्याः 816 /XV-1/11/8(2)/10

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर, 2011

विषयः अलाभकर, निराश्रित, वृद्ध, बीमार, घायल रोगी एवं विकलांग गोवंशीय पशुओं के संरक्षण हेतु गौ सदनों को भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० मंत्रिमण्डल के आदेश संख्या–4/2/IV/XXI/2011–सी०एक्स० दिनांक–10.03.2011 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यान्तर्गत निराश्रित एवं अनुत्पादक गोवंश को शरण देने वाले गो सदनों द्वारा दान अथवा क्रय से अर्जित भूमि को भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क से निम्न प्रतिबन्धों के तहत मुक्ति प्रदान करने की राज्यपाल होदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क से उन्ही गो सदनों/संस्थाओं को मुक्ति प्रदान की जायेगी जो गोवंशीय पशुओं के कल्याणार्थ 03 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हों एवं संबंधित गोसदन संख्या में कम से कम 50 गोवंशीय पशु संरक्षित हो।

(2) भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन करने वाली संस्था/गोसदन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पशु कल्याण एवं गोवंश संरक्षण हेतु पंजीकृत हों।

(3) आवेदक संस्था/गोसदन, निराश्रित/घायल/रोगी/वृद्ध तथा अनुत्पादक गोवंश हेतु स्वयं द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा तक मा० न्यायालय/स्थानीय पुलिस/प्रशासन, स्थानीय निकाय अथवा संबंधित विभागों/बोर्डस अथवा आयोग द्वारा प्रस्तुत केस प्रापर्टी/रेस्क्यू पशु स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।

(4) आवेदक संस्था/गो सदन संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगी। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी से संबंधित गो सदन के निरीक्षणोपरान्त गो सदन की कार्य में प्रतिष्ठा, गोवंश की संख्या, गो सदन द्वारा वांछित शुल्क मुक्ति के अनुपात में गो सदन का क्षेत्रफल, गोवंश के मानकनुसार रखरखाव, पंजीयन आदि के आलोक में स्वतः स्पष्ट आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही अपनी सुस्पष्ट संस्तुति उचित माध्यम (द्वारा संबंधित मण्डल के अपर निदेशक) से निदेशक, पशुपालन अग्रसारित की जायेगी।

(5) निदेशक, पशुपालन द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं अपर निदेशक कार्यालय से प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव का समुचित परीक्षण करने के उपरान्त सभी शर्तों/मानकों के पूर्ण होने के उपरान्त ही शासन के प्रशासकीय विभाग को स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन के प्रस्ताव का मानकों के अनुरूप परीक्षणोपरान्त सभी शर्ते पूर्ण करने वाली संस्था के आवेदन/प्रस्ताव को वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–9) को प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग की विधिवत सहमति के उपरान्त ही संबंधित गोसदन को भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(7) गो सदन की जिस भूमि के पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति प्रस्तावित हो उस भूमि के क्षेत्रफल का आंकलन प्रति गोवंश को मानकानुसार वांछित न्यूनतम भूमि अर्थात 150 वर्ग फुट × गो सदन में संरक्षित पशुओं की कुल संख्या के आधार पर किया जायेगा।

(8) ऐसे गो सदन, जिन्हें उक्त प्रयोजन हेतु भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति प्रदान की गयी हो, के द्वारा किसी भी दशा में भू–उपयोग परिवर्तित नहीं कराया जायेगा और न ही भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, न ही कोई पक्का निर्माण कराया जायेगा। इस आशय का संबंधित संस्था/गो सदन द्वारा शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। भूमि के दुरूपयोग एवं भूमि का किसी अन्य प्रयोजन में प्रयोग सिद्ध होने पर भूमि का पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं ऐसे गो सदनों से ब्याज(.....%) सहित पंजीकरण शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धाराओं में भूमि के दुरूपयोग हेतु मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा।

(9) पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त गो सदनों के कार्य एवं प्रगति का प्रतिमाह नियमित रूप से निरीक्षण क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति 03 माह में तथा संबंधित मण्डल के अपर निदेशक द्वारा वर्ष में न्यूनतम 01 बार सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–01/XXVII-9/2011 दिनांक–28 सितम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 816 (1)/XV-1/2011/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मा० पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, पशुपालन/सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, (द्वारा निदेशक) उत्तराखण्ड।
7. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को उक्त सूचना को असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (व) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियाँ पशुपालन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने के आशय से।
9. वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव